बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत 494001

BASTAR VISHWAVIDHYALAYA, JAGDALPUR

(DHARMPURA) DIST.- BASTAR (CG INDIA) 494001, PHONE 07782-229037, FAX 07782-229226, www.bvvjdp.ac.in

विद्यापरिषद
की बैठक दिनांक 27.08.2019

o कार्यवाही विवरण

o विषय सूची

o विषय से संबंधित समस्त दस्तावेज सहित

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 5817 / अका. / ब.वि.वि. / 2019 जगदलपुर, दिनांक 29/ 08 / 2019

/ / विद्यापरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण / /

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 27.08.2019 को पूर्वान्ह 12.30 बजे विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1.	प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष
2.	डॉ. व्ही.के. पाठक कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सचिव
3.	डॉ. आर. के. हिरकने, प्राध्यापक शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	संकायाध्यक्ष वाणिज्य
4.	डॉ. ए.के.दीक्षित, प्राध्यापक शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम	संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान
5.	डॉ. के. इंदिरा मूर्ति, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय
6.	डॉ. शरद नेमा,सह प्राध्यापक अध्ययनशाला ब.वि.वि., जगदलपुर	अध्यक्ष वानिकी एवं वन्यजीव
7.	श्री बी.एन.सिन्हा, सहायक प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष गणित
8.	डॉ. एस.के. दत्ता, सहायक प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष प्राणीशास्त्र
9.	श्री व्ही.के.श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र
10.	श्री सुशील कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष संगणक

11.	श्रीमती जयश्री साहू, सहायक प्राध्यापक शास. नवीन महाविद्यालय, केशकाल	अध्यक्ष सूक्ष्मजीव विज्ञान
12.	डॉ. शिखा सरकार, सहायक प्राध्यापक शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	अध्यक्ष इतिहास
13.	डॉ. (श्रीमती) रानू मेश्राम, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष राजनीतिविज्ञान
14.	श्री एस.एन. चौधरी, सहायक प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष अर्थशास्त्र
15.	डॉ. एस.आर. बंजारे, सहायक प्राध्यापक भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	अध्यक्ष हिन्दी
16.	सुश्री तस्नीम अख्तर, सहायक प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष अंग्रेजी
17.	डॉ. डी.एल. पटेल, सहायक प्राध्यापक भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	अध्यक्ष भूगोल
18.	श्री सचिन द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष शिक्षा
19.	श्री हंसराज रहंगडाले, सहायक प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष संस्कृत
20.	डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक बस्तर विश्वविद्यालय, अध्ययनशाला	विभागाध्यक्ष अंग्रेजी
21.	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक बस्तर विश्वविद्यालय, अध्ययनशाला	विभागाध्यक्ष समाजकार्य
22.	डॉ. सजीवन कुमार, सहायक प्राध्यापक बस्तर विश्वविद्यालय, अध्ययनशाला	विभागाध्यक्ष एम.सी.ए.
23.	डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक बस्तर विश्वविद्यालय, अध्ययनशाला	विभागाध्यक्ष राजनीतिविज्ञान
24.	डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सरोना	प्राचार्य
25.	डॉ. जी.एस. सलूजा, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	प्राध्यापक

उक्त सम्मिलित सदस्यों का स्वागत किया गया।

विषय क्रमांक –1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय –

विद्यापरिषद के सम्माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पूर्व विद्यापरिषद बैठक के कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक –2

बस्तर विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में P.G. Diploma in Criminology and Forensic Science या 5 Year Integrated UG/PG Programme in Forensic नवीन पृथक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

राज्य शासन के पत्र क्रमांक/2387/803/आउशि/सम/2019 अटल नगर रायपुर, दिनांक 05.04.2019 के द्वारा विश्वविद्यालय में अपराध शास्त्र (Criminology) की शिक्षा प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव चाही गई थी। तत्संबंध में डॉ. स्वपन कुमार कोले, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देशानुसार P.G. Diploma in Criminology and Forensic Science या 5 Year Integrated UG/PG Programme in Forensic नवीन पृथक पाठ्यक्रम तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –3

शैक्षणिक सत्र 2019–20 में प्रारंभ हुए नवीन महाविद्यालय, विश्वभारती इन्टीट्यूट मोकपाल, कटेकल्याण, जिला –दन्तेवाड़ा (छ.ग.) में संचालित बी.ए. (आ.पा. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास) (सीट संख्या 60) तथा बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) (सीट संख्या 60) का प्रथम अस्थायी संबद्धता आदेश जारी किया गया है प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 17–90/2019/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 22.07.2019 के द्वारा विश्वभारती इंस्टीट्यूट मोकपाल, कटेकल्याण, जिला – दन्तेवाड़ा में वर्ष 2019–20 से नवीन अशासकीय महाविद्यालय, प्रारंभ करने की अनुमति प्रदाय करते हुए बी.ए. (आ.पा. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास) (सीट संख्या 60) तथा बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) (सीट संख्या 60) पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई है। तत्पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार उक्त पाठ्यक्रमों का प्रथम संबद्धता आदेश जारी किया गया है।

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –4

बी.एड. के संशोधित अंक योजना को बस्तर विश्वविद्यालय में लागू करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीपः–

दिनांक 22.12.2018 को आयोजित शिक्षा अध्ययन मंडल की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित शिक्षा (बी.एड.) पाठ्यक्रम में नवीन अंक योजना को बस्तर विश्वविद्यालय में यथावत लागू करने की अनुशंसा की गई है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –5

बी.सी.ए. के संशोधित पाठ्यक्रम को बस्तर विश्वविद्यालय में लागू करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीपः–

समन्वय समिति के बैठक दिनांक 19.04.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 13 Revise Ordinance -107 - BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) को राजभवन रायपुर द्वारा अनुमोदन किया गया है। जिसे पं. रविशंकर शुक्त विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा लागू किया गया है। तत्संबंधी संशोधित बी.सी.ए. पाठ्यक्रम को दिनांक 06.07.2019 को आयोजित संगणक अध्ययन मंडल की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 से बस्तर विश्वविद्यालय में यथावत लागू करने की अनुशंसा की गई है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –6

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 6 की कंडिका 26 (1) एवं (2) में आवश्यक संशोधन करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीपः–

1. अकादमिक कैलेण्डर के परिपालन हेतु प्रवेश, पूरक परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए अध्यादेश क्रमांक 6 की कंडिका 26 (1) में परीक्षा परिणाम जारी होने के 15 दिवस के भीतर आवेदन करने के स्थान पर 10 दिवस कराया जाना है।
2. पुनर्मूल्यांकन राज्य के बाहर कराये जाने से विश्वविद्यालय की आर्थिक क्षति, समय तथा अग्रिम राशि का समायोजन करने में हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अध्यादेश क्रमांक 6 की कंडिका 26 (2) में पुनर्मूल्यांकन राज्य के बाहर कराये जाने के स्थान पर पुनर्मूल्यांकन विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के बाहर राज्य में कराया जा सकता है।

निर्णय :—

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 6 की कंडिका 26 (1) को यथावत रखने तथा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 6 की कंडिका 26 (2) में पुनर्मूल्यांकन राज्य के बाहर कराये जाने के स्थान पर पुनर्मूल्यांकन विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के बाहर के शिक्षकों से कराये जाने संबंधी अध्यादेश क्रमांक 6 में संशोधन प्रस्ताव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जावे।

विषय क्रमांक —7

बस्तर विश्वविद्यालय के आदिवासी लोक कला एवं आदिवासी बोली शोध केन्द्र हेतु स्वीकृत शैक्षणिक पदों प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के लिए शैक्षणिक अर्हता विषय/विभाग का निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :—

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 5680/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2019 जगदलपुर, दिनांक 14.08.2019 के द्वारा आदिवासी लोक कला एवं आदिवासी बोली शोधपीठ केन्द्र हेतु छ.ग.शासन द्वारा प्राप्त सेटअप के अनुसार प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों के भर्ती हेतु शैक्षणिक अहर्ता का पुनर्रधारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 23.08.2019 को आयोजित की गई जिसमें बस्तर अंचल के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए पदवार निम्नानुसार तैयार किया गया है :—

(1) प्राध्यापक —
- हिन्दी/भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर यू.जी.सी. के मापदंड के अनुसार एवं अन्य अहर्ताएँ यू.जी.सी. के अनुसार।
- आदिवासी अनुसंधान संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव।
- आदिवासी लोक कला एवं बोली में उच्च स्तरीय शोध कार्य यू.जी.सी. के मापदण्ड के अनुसार 10 वर्ष का अनुभव।
- शोध — निर्देशन का अनुभव।

(2) सह प्राध्यापक —
- हिन्दी/भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि यू.जी.सी. के मापदंड के अनुसार एवं अन्य अहर्ताएँ यू.जी.सी. के अनुसार।
- 08 वर्ष का अध्यापन अनुभव आदिवासी अनुसंधान संस्थान/महाविद्यालय विश्वविद्यालय में।
- 08 वर्ष का शोध कार्य अनुभव आदिवासी लोक—कला एवं बोली में उच्च स्तरीय शोध—कार्य।
- 08 वर्ष का शोध — निर्देशन का अनुभव

(3) सहायक प्राध्यापक — हिन्दी / भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि यू.जी.सी. के मापदंड के अनुसार एवं अन्य अहर्ताएँ यू.जी.सी. के अनुसार आदिवासी लोक कला एवं बोली पर शोध कार्य संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

अन्य अहर्ताएँ – आदिवासी लोक कला एवं बोली पर शोध कार्य संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर –डिप्लोमा

उपरोक्तानुसार शैक्षणिक पदों के लिए अहर्ता का पुनर्निधारण कर गठित समिति के सदस्यों द्वारा अनुशंसा किया गया है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –8

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु निर्धारित अहर्ता के संबंध में यू.जी.सी. – 2018, एन.सी.टी.ई – 2014, ए.आई.सी.टी.ई –2019 के आधार पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश –4 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –9

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु विनियम क्रमांक – 114 तैयार किया गया है। उक्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –10

अन्य कोई पूरक विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)